शहरों में महिलाओं के पानी व स्वच्छता पर अधिकार

पानी के अधिकार को लेकर असंख्य अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय सम्मेलन, घोषणापत्र, समझौते व वादे हमारे सामने मौजूद हैं। नवम्बर 2002 में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने अपनी 'सामान्य टिप्पणी' में 'पानी के अधिकार' को स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। यह टिप्पणी संगठनों पर बाध्य नहीं है परन्तु इसका प्रभाव आधिकारिक अवश्य है। 28 जुलाई 2010 को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के प्रस्ताव ए/रेस/64/292 ने भी यह "पहचाना कि सुरक्षित व साफ़ पेयजल और स्वच्छता का अधिकार मानवाधिकार है जो जीवन व समस्त मानव अधिकारों का उपभोग करने के लिए आवश्यक है।" हाल ही में अप्रैल 2011 में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र ने जल व स्वच्छता के मानवाधिकार पर संधि का समर्थन किया है और उस पर हस्ताक्षर करने वाले 160 देशों पर उसे कानूनन बाध्य बनाया है। वियाना घोषणा व प्लान ऑफ़ एक्शन 1993 में दर्ज है— "महिलाओं व बालिका शिशु के मानवाधिकार व्यापक मानव अधिकारों का अविभाज्य, व समग्र हिस्सा हैं।" इतने सारे सशक्त अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ों और दशकों के अथक प्रयासों के बावजूद और जिनमें कुछ लिंग संवेदी भी हैं महिला कार्यकर्ता, व्यावसायिकों तथा जल खण्ड के पक्षधर यह सोचने पर बाध्य हैं कि आखिर महिलाओं व लड़कियों को संसाधनों पर कब बराबरी का हक़ तथा जल खण्ड में निर्णायक अधिकार मिल पाएंगे?

अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कानून में अधिकारों की बात होने का अर्थ यह नहीं होता कि सभी लोगों विशेषतः निम्न आय वर्ग के स्त्री-पुरुषों के वे तमाम जल व स्वच्छता सेवाएं मिल पाएंगी जिनकी उन्हें ज़रूरत है। इसके अलावा शहरी तबकों में जल व स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच की बात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अभी हाल ही में शुरू हुई है।

1979 देशों में कानूनी तौर पर बाध्य सीडॉ दस्तावेज़ के परिशिष्ट 14 (2) के अनुसार, "ग्रामीण इलाकों में औरतों के प्रति भेदभाव को खत्म करना जिससे सभी पुरुष व स्त्रियां समान रूप से, ग्रामीण विकास में भागीदार व लाभार्थी बन सकें, विशेषतः महिलाओं के लिए अधिकार सुनिश्चित हों: (च) उपयुक्त रिहाइशी हालात, विशेषतः आवास, स्वच्छता, बिजली, जल आपूर्ति, परिवहन व संचार। हालांकि सीडॉ में निम्न आय वर्ग की शहरी महिलाओं के जल व स्वच्छता अधिकारों की कोई बात नहीं की गई है, फिर भी यह माना जा सकता है कि इसमें शहरी महिलाओं के हक़ भी शामिल हैं। आज संयुक्त राष्ट्र के दूसरे दस्तावेज़ भी निम्न आय शहरी नागरिकों के अधिकारों की बात कर रहें हैं।

अब प्रश्न यह है कि 'आम' औरतों को दस्तावेज़ों के ज़रिए मिले ये अधिकार पानी, स्वच्छता सेवाओं तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य व सुख के बुनियादी हक़ों के लिए संगठित होने के लिए कैसे तैयार करता है? महिलाओं के लिए

एक मानव अधिकार ढांचा औरतों को हिंसा, कमतरी व दरकिनार होने के अनुभवों को परिभाषित, विश्लेषित व सवा्क बनाने और परिवर्तन के लिए विविध दृष्टिकोण व ठोस रणनीतियां विकसित करने के लिए सशक्त करता है। अब महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मानव अधिकार विमर्श में बदलाव लाएं और उसमें महिलाओं के जीवन के 'सार्वजनिक' व 'निजी' क्षेत्रों में विभाजन, देखभाल अर्थव्यवस्था में औरतों के काम के कारण जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव तथा लड़कियों व महिलाओं पर हिंसा व असुरक्षा के विभिन्न स्वरूपों का विश्व-व्यापी चक्र इसमें शामिल करें। महिलाओं के मानवाधिकार में शहर पर अधिकार तथा शहरी स्वरूप, कार्य, बजट व सेवाएं भी सम्मिलित हों।

परन्तु पानी व स्वच्छता के मानवाधिकार का वास्तविक अर्थ क्या है? या फिर ये कहा जाए कि इस अधिकार के औरतों के लिए क्या मायने हैं? गरीब व हाशिए पर रहने वाली शहरी महिलाओं के लिए इन हक़ों का क्या मतलब है? महिलाओं के अधिकार का नज़रिया जल खण्ड में एक नया आयाम जोड़ देता है। साफ़ पानी और सफ़ाई सेवाओं का प्रावधान अब गरीब औरतों के लिए कल्याणकारी सेवा नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है। हालांकि कोई भी मानवाधिकार ढांचा वित्त, नियंत्रण, वितरण संबंधी नीतिगत मुद्दों को हल नहीं कर सकता परन्तु यह इस खण्ड में राजनैतिक व आर्थिक निर्णय क्षमता के लिए मार्गदर्शन अवश्य करता है।

महिलाओं के पानी व स्वच्छता अधिकार लिंग-संवेदी मानवाधिकार ढांचे तथा मानव अधिकारों को सुरक्षा व प्रोत्साहन देने वाले शहरी विकास के संदर्भ में ही हासिल किए जा सकते हैं। इसमें लिंग-संवेदी मानकों के साथ-साथ मौजूदा शहरी योजनाओं, नीतियों व बजट में मानवाधिकार सम्मिलित करने वाले नियम और कारक भी मौजूद होने चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शहरी प्रशासन में समानता, निरपेक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता, सशक्तता, सकारात्मक सक्रियता व भागीदारी के नियम अंतर-संबंध व लिंग संवेदनशीलता पर आधारित हों।

महिला मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण प्रशासन में जवाबदेही व पारदर्शिता की भी मांग करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि कानून, नीतियों, संस्थानों, प्रशासनिक तरीकों व प्रतिकार प्रक्रियाओं में लिंग संवेदी सुधार किए जाएं। इस प्रक्रिया व रूपरेखा को निर्धारित करने से स्थानीय, राज्य सरकारों व सेवादाताओं का यह दायित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता का अधिकार हक़दारों को मुहैया हो।

जवाबदेही व पारदर्शिता के लिए यह भी ज़रूरी है कि जल खण्ड व स्थानीय सरकारों के हर स्तर पर लिंग-असंकलित आंकड़ें इकट्ठे किए जाएं क्योंकि ये जानकारी व निगरानी तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। गरीब व लिंग संवेदी निगरानी ढांचा जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान व प्रणाली, निम्न आय वाली महिलाएं, राज्य, स्थानीय सरकारें व नागरिक समाज लागू करें, की मदद से भी इन अधिकारों को हासिल किया जा सकता है।

इन सभी बातों के साथ-साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पानी व स्वच्छता पर महिलाओं के अधिकारों को निजीकरण से खतरा है। आज के दौर में नगरपालिका सेवाएं, सहूलियतें व आधारभूत ढांचों पर निजी एजेंसियों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। लिहाज़ा किसी भी सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली का सरकारी सहमति से पहले महिला मानवाधिकार कसौटी पर जांचा जाना महत्वपूर्ण है।

शहरी पानी व स्वच्छता कार्यक्रमों, सेवाओं व आधारभूत ढांचों के नियोजन व प्रारूपण में महिलाओं की भागीदारी, जल व स्वच्छता खण्ड में लिंग संवेदी बजट; जल व सफ़ाई मंत्रालयों स्थानीय सरकारी विभागों व सुविधाओं में अधिक महिला कामगारों की नियुक्ति; शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं की पहुंच बढ़ाना तथा महत्वपूर्ण संस्थानों में जेंडर प्रशिक्षण शामिल करने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि महिलाओं के लिए जल व स्वच्छता सेवाएं सतत व नियमित हों।

–प्रभा खोसला

प्रभा खोसला शहरी नियोजक हैं। वे जेंडर व शहरों पर महिलाओं के अधिकारों पर काम के साथ लम्बे समय से जुड़ी हैं।